

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि अनुभाग - 2

संख्या / 3465 (1) / 12 (2) एस-2 / 84

लखनऊ : दिनांक 4 जुलाई, 1985

अधिसूचना

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन बनाये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड-11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उपर्युक्त आदेश के प्रयोजन के लिए जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजनाधिकारियों / जिला कृषि अधिकारियों को उनके अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि अनुज्ञापन प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर करेंगे।

आज्ञा से

पी. सी. शर्मा

सचिव

संख्या -

/ (1) / 12 (2) / एस-2 / 84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
5. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. बीज एवं तराई विकास निगम, लखनऊ।
7. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र., इलाहाबाद को उक्त विज्ञप्ति के अंग्रेजी रूपान्तर सहित गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
8. संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
9. कृषि सचिव के निजी सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से

के. पी. श्रीवास्तव

संयुक्त सचिव